



उत्तर प्रदेश, UTTAR PRADESH

GB 852306



उत्तर प्रदेश  
 30/08/2023  
 30/08/2023

उत्तर प्रदेश

30-08-2023  
 ADVOCATE  
 30/08/2023

(प्रारूप-“अ”)

सत्र 2023-24 में नगरस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम रुधा झाड़े (नाम अध्यक्ष) एवं अजयपाल सिंह झाड़े (नाम सचिव) कर्मश: अध्यक्ष एवं सचिव श्री रामपाल सिंह झाड़े डिप्लोमा संस्थान, कानपुर, कानपुर शरीर सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) शपथपूर्वक निर्णय बयान

करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा शरीर (संस्था का नाम एवं पता) कानपुर, कानपुर शरीर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम शरीर (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) में गाटा संख्या 584 एवं 584 रकबा कर्मश: 0:61/0 एवं 6:7/2 हेक्टेयर (कुल रकबा 1:32:3 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 584 एवं 544 रकबा कर्मश: 0:61/0 एवं 0:2/2 हेक्टेयर (कुल रकबा 1:32:3 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक ..... द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

30-08-2023  
Anamulla Estate  
ATTORNEY AT LAW  
20/4, Chhatra, Shikharanpura

8. यह कि इस संस्था में फार्मेशी कालिग्नल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध भातृमकम एवं प्रवेश क्षमता की अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेशी कालिग्नल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, तत्पश्चात् लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आर्जोपीओआर्जो आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक बलारा रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेशी कालिग्नल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जाएगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जाएगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अगिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

हो सचिव

अनुपपाल सिंह

हो अध्यक्ष

रजनी यादव

30-07-2023

Advocate A.P.A.

Advocate A.P.A.

Advocate A.P.A.